भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 303
उत्तर देने की तारीख : 10.08.2023

बैंकों से ऋण प्राप्त करने में एमएसएमई के समक्ष आने वाली चुनौतियां

***303. श्रीमती रमा देवी:**
श्री रमेश चन्द्र कौशिक

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, और झारखंड में बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के समक्ष आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देते समय बैंकिंग संस्थाओं द्वारा मांगी जा रही संपार्श्विक प्रतिभूतियों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है कि बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा मांगे जा रहे ऋणों के लिए संपार्श्विक संबंधी मांगें उनके व्यवसाय के आकार और वित्तीय क्षमता के अनुसार उचित और तर्कसंगत हों; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नारायण राणे)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"बैंकों से ऋण प्राप्त करने में एमएसएमई के समक्ष आने वाली चुनौतियां" पर लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *303 जिसका उत्तर 10.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) तक के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ) : सरकार द्वारा बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों सहित देश के एमएसएमई इकाइयों के लिए ऋण दिए जाने की सुविधा में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

i. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के दिशानिर्देश: दिनांक 04.09.2020 को जारी "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करना (पीएसएल)-लक्ष्य एवं वर्गीकरण" पर प्रमुख निर्देशन (मास्टर दिशानिर्देश) की शर्तों के अनुसार एमएसएमई को ऋण देने वाले सभी ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के तहत वर्गीकरण के लिए योग्य माना गया है।
ii. एमएसएमई इकाइयों की कोलेटरल आवश्यकताएं : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यम श्रेणी की इकाइयों को 10 लाख रुपए तक के ऋण देने के मामले में कोलटरल सिक्योरिटी स्वीकार न करने को अधिदेशित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके बारे में दिनांक 06 मई, 2010 को परिपत्र संख्या आरपीसीडी.एमएसई और एनएफएस.बीसी संख्या 79/06.02.31/2009-10 जारी किए हैं।
iii. सीजीटीएमएसई, अपने सदस्य ऋण प्रदाता संस्थाओं को उन्हें सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कोलेटरल सिक्योरिटी तथा तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना ही ऋण प्रदान करने के लिए गारंटी प्रदान करता है।
iv. दिनांक 01.04.2023 से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी के तहत दी जाने वाली 2 करोड़ रुपए की गारंटी को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है और वार्षिक गारंटी शुल्क को 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है।
v. एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कोष में 9,000 करोड़ रुपए का समावेशन किया गया है ताकि घटी हुई लागत पर एमएसई को 2.00 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त हो सके।
vi. दिनांक 13.05.2022 को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के जारी संशोधित दिशानिर्देशों के तहत विनिर्माण सेवा क्षेत्र के लिए क्रमश: पूर्व में निर्धारित परियोजना लागत 25.00 लाख और 10.00 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे क्रमश: 50.00 लाख और 20.00 लाख रुपए कर दिया गया है।
vii. "आत्म निर्भर भारत" के तहत भारत सरकार ने एमएसएमई में इक्विटी समोवेशन के लिए आत्म निर्भर भारत निधि की घोषणा की है जिसमें संवृद्धि की संभाव्यता और व्यवहारिता मौजूद है।
viii. दिनांक 26.06.2020 से निवेश और टर्नओवर के संयोजित मानदंड को लेकर एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड जारी।
ix. दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी, व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण"।
x. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को देय ऋण (पीएसएल) के तहत उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए औपचारिक दायरे में लाने हेतु दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ।
xi. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा नहीं होगी।

सूक्ष्म, लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत, वित्त वर्ष 2000-2001 में इसके शुरुआत के समय से दिनांक 31.03.2023 तक बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों के लिए अनुमोदित संचयी गारंटियों का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:

सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए गारंटी स्कीम के तहत अनुमोदित गारंटियां			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अनुमोदित संचयी गारंटियां (2000-01 में शुरुआत से 31.03.2023)**	
		संख्या	**राशि (करोड़ रुपए में)**
1	बिहार	2,77,918	15,045
2	हरियाणा	1,43,110	14,232
3	महाराष्ट्र	5,61,045	49,729
4	जम्मू एवं कश्मीर	2,11,523	6,230
5	पश्चिम बंगाल	3,44,546	22,525
6	झारखंड	1,93,012	14,153

****